न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 05 / 2024 — निर्णय दिनांक 16.04.2024

ऑनलाईन नंबर 2024 / 9

रेशमी देवी उर्फ रेसू देवी पत्नी मांगीलाल जाति नाई निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। —प्रार्थिनी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर —अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थीनी
2. स्टेट की ओर से पैरोकारराज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट सपठित धरा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिनी ग्राम ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की स्थायी निवासीनी हैं। प्रार्थिनी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1231 / 594 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थिनी ने वादगत खेत की कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2007 के आधार पर खरीद की थी। वादगत कृषि भूमि खरीद के समय तैयार किये गये विक्रय पत्र में प्रार्थिनी का घर में बोलता नाम रेशमीदेवी अंकित कर दिया गया एवं उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी का नाम रेशमीदेवी अंकित हैं तथा अन्य सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थिनी का नाम रेसू देवी अंकित हैं। प्रार्थिनी को उपर्युक्त दोनों ही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाता है। वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी का नाम अशुद्ध दर्ज होने से प्रार्थिनी को के.सी.सी. ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थिनी इस प्रार्थना—पत्र के माध्यम से वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर अपना नाम रेशमी देवी उर्फ रेसी देवी अंकित करवाना चाहती हैं जिसकी कि प्रार्थिनी कानूनी अधिकारिणी है। प्रार्थिनी ने वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रेशमी देवी उर्फ रेसू देवी शुद्ध अंकित करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने [illegible] न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार किया। अप्रार्थी द्वारा किए गए इन्कार के कारण प्रार्थिनी को अप्रार्थी के विरूद्ध वाद हेतु प्राप्त हैं एवं वादगत खेत की खातेदार कृषक होने से प्रार्थिनी को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। प्रार्थिनी ग्राम ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की स्थायी निवासिनी हैं एवं वादगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:07 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

खेत रोही ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 1231/594 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम रेशमीदेवी को शुद्ध किया जाकर रेशमीदेवी उर्फ रेसू देवी दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थिनी हो या दौराने प्रार्थना–पत्र हितकर प्रार्थिनी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें।

प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थीनी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थीनी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1231/594 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम रेशमीदेवी को शुद्ध किया जाकर रेशमीदेवी उर्फ रेसू देवी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिशिचित करें।

आदेश आज दिनांक 16.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:07 IST
Reason: SelfAttested